कार्यालय, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0
संख्या– 11 / 03 / ई–2 / 2025–26
प्रयागराजः दिनांक 30 सितम्बर, 2025

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या ए–1 / ई–1 / 2025, दिनांक 20–02–2025 के द्वारा विज्ञापित सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा0) परीक्षा – 2025 तथा सहायक वन संरक्षक / क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा0) परीक्षा–2025 के संदर्भ में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा **दिनांक 12 अक्टूबर, 2025 (रविवार) को दो सत्रों में (प्रथम सत्र पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 02:30 बजे से 04:30 बजे तक)** प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के **प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।** अभ्यर्थी अपने **ओ0टी0आर0 नम्बर** के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। **अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।''

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।